[श्री प्रभात झा]

छोड़ दें, तो दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में आने वाले दिनों में पानी की किल्लत होगी, क्योंकि हर साल दो से पांच मीटर तक भू-जल स्तर गिरता जा रहा है।

मैंने अभी बताया कि देश के 18 राज्यों और 286 जिलों में पिछले दो दशकों के दौरान भू-जल स्तर चार मीटर गिरा है। देश में अत्याधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में गिरावट आ रही है। देश भर के इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद अटल जी ने नदियों को जोड़ने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसके बाद भी इनके कान नहीं खड़े हो रहे हैं। देश में जो पानी का संकट आने वाला है, क्या यह सदन की समस्या नहीं है? क्या यह समस्या हमारे जीवन की नहीं है? 18 राज्य, 28 जिले, लाखों-करोड़ों लोग पानी के लिए हाहाकार करेंगे। मैं सदन से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी हमारी जिन्दगी है, पानी हमारा जीवन है। पानी के लिए मौतें होती हैं। एक बाल्टी पानी के लिए गोली चल जाती है, लोग दो-दो लोगों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद भी इस मसले पर भारत की यूपीए सरकार ने किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके लिए कोई योजना नहीं है। इसके लिए कोई नियम-कानून नहीं है। इसके लिए कोई नीति नहीं है। मुझे लगता है कि यह सदन सहमत होगा कि पानी देश की सबसे बड़ी समस्या है। 2050 में 90 फीसदी लोगों को पानी नहीं मिलेगा। इस तरह के भूचाल मचाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए सरकार से निवेदन है कि वह इस समस्या का समाधान करे। धन्यवाद।

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Sir, I would like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री नन्द कुमार साय (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

Irregularities in appointment of lecturers in Maulana Azad Urdu University

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार का और इस सदन का ध्यान, खास तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो appointments हुई हैं, उनमे हुई irregularities को लेकर लोगों में जो असंतोष है, उसके बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी बनाने के पीछे सरकार का यह मकसद था कि उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए, उर्दू भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और उसकी तरक्की के लिए काम किया जाए, लेकिन, महोदय, आपको जान कर ताज्जुब होगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जो appointments हुई हैं, उनमें ऐसे लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जो उर्दू भाषा, उर्दू ज़बान नहीं जानते हैं। इसको लेकर कई उर्दू संगठन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एक एहतेजाज किया है, एक एक्शन कमेटी बनाई है और बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, ताकि जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप किया जाए और इसमें जो irregularities हो रही हैं, उनको रोका जा सके।

1.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इस देश की वाहिद उर्दू यूनिवर्सिटी है और इसके बनाने के पीछे जैसा मैंने कहा, उर्दू को आगे बढ़ाने का मकसद है। लेकिन वहां की अथॉरिटी या जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वे उर्दू विरोधी हैं और लगातार जो बहालिया वहां हो रही हैं, उनमें नॉन उर्दू शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं और प्रोफेसर बहाल किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कहा है कि जो भी अनियमितता बरती गई है, उसको अविलम्ब दुरुस्त करने की कोशिश करें। इस प्रकार यूनिवर्सिटी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। लेकिन अभी इस बात की जानकारी मिली है कि यह सिलसिला अभी भी जारी है और खास तौर से उर्दू नोइंग लोगों में इस बात को लेकर काफी असंतोष है। मैं चाहूंगा कि इसको बनाने के पीछे जो मकसद था, उस मकसद को बचाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी अनियमितताओं को रोका जाए और उर्दू भाषा को बचाने के लिए, उर्दू भाषा की तरक्की के लिए इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है, उसका मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।

डा0 नज़मा ए हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इसका समर्थन करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We will now take up the Bills for Introduction...(*Interruptions*)...

SHRI DEVENDER GOUD (Andhra Pradesh): Sir, the Railway Minister (*Interruptions*)

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I have...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, the Railway Minister is here ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.KURIEN): One second...(*Interruptions*).. What is this? ..(*Interruptions*).. I will decide....(*Interruptions*)...No, please take your seat...(*Interruptions*)...Take your seat, please...(*Interruptions*)...If all of you speak like this, what do I do?...(*Interruptions*)...

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Sir, I have given a notice for Zero Hour...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): If hon. Members cooperate, everything can be taken up...(*Interruptions*)...

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, I have given a notice for Zero Hour....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please...(*Interruptions*)... बैठिए, बैठिए।.....**(व्यवधान)**

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Sir, I have given a notice for Zero Hour. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Did the Minister move? ...(*Interruptions*)...

SHRI TARINI KANTA ROY: No, Sir. ..(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Then? (*Interruptions*) Please ..(*Interruptions*).. Please, take your seat...(*Interruptions*)... Special Mentions are there. Nobody has ruled out. They will be allowed...(*Interruptions*)...

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, I have given a notice for Zero Hour...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Zero Hour is over...(*Interruptions*)...Please take your seat.

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, I have given a notice for Zero Hour. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is not allowed today. Take your seat...(*Interruptions*)...It is not admitted. ...(*Interruptions*)...Please take your seat...(*Interruptions*)...Now, we always take Bills for Introduction after the Zero Hour. You know that. Special Mentions will be allowed. Why do you worry? And the Minister's Statement will also be done...(*Interruptions*)...Please. ...(*Interruptions*)...You are not to decide how the House should conduct business. It is for me to decide. Now, you see, 'Bills for Introduction' is always taken up after Zero Hour. This is the procedure. Let me go by that. If, you have any objection, I will allow you to speak. Where is the problem?

SHRI P. RAJEEVE: Sir, my notice is under rule 67...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is there. I will allow you. ...(*Interruptions*)...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला (गुजरात): सर, आपने रेल मंत्री के स्टेटमेंट के लिए कहा था।.....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No please, I am not allowing you. ..(*Interruptions*)..

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर,.....**(व्यवधान)**

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, take the sense of the House. ..(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, I can allow that also. Today is the last day...(*Interruptions*)...We will sit and introduce the Bills. After Introduction and Special Mentions, we can adjourn for the lunch...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, my objection is that...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, Mr. P. Rajeeve, please. ...(*Interruptions*)...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, माननीय मंत्री जी हाऊस में हैं।.....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Rupala ji, why are we not able to take up the Special Mentions? Why are we not able to allow the Minister? ..(*Interruptions*)..

Because the time is wasted. I am giving a ruling. Please don't waste the time. Let us introduce the Bill. After its introduction, I will allow the Statement. But there is an objection. After that, I will allow this and the statement also. Please cooperate. Now, there is an objection from Shri P. Rajeeve.

GOVERNMENT BILL

The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Bill 2012- Introduced

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to provide for the establishment and incorporation of a University for the Bundelkhand region for the development of agriculture and for the furtherance of the advancement of learning and prosecution of research in agriculture and allied sciences in that region.

The question was proposed.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I gave a notice objecting to its introduction under Rule 67.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can object to its introduction only on legislative competence.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I have questioned the legislative competence of Parliament. On 28th December 2011, the Minister tried to introduce the Bill. At that time, I had made some serious objection to it on legislative competence of Parliament to make laws for incorporating a university.